2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2006 (कार्तिक 13, 1928)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2006 (KARTIKA 13, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय

कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

मुजफ्फरपुर-842001, दिनांक 5 अक्तूबर 2006

सं. पीआरएस(एसएण्डएफ/02/2006-07/207)--उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2006 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम)

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

(i) ये विनियम उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2006 वर्ष कहलाएँगे।

(ii) ये विनियम से प्रभावी होंगे।

(iii) वे बैंक के प्रत्येक, अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे। परन्तु यह कि वे, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए या निदेशक मण्डल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक।

(क) दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति पर,

(ख) प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो --

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'नियत दिन' से सितम्बर 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है।

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से विनियम 5(1) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) 'क्षेत्र प्रबंधक' से तत्समय क्षेत्र कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

(ड़) 'बैंक' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत स्थापित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(च) 'निदेशक मण्डल' से बैंक का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है।

(छ) 'शाखा प्रबन्धक' से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG

New Delhi-110 002, the 5th October 2006

No. F. 1-10/2004 (CPP-II)Pt.-III.

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto Dec., 1985 and in continuation of Notification No.1-52/97(CPP-II) published in the Gazette of India on 31-01-2004, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby ***de-specifies*** the following degrees which were published in Gazette of India for the purposes of the said section.

S.No.	Abbreviation of Degrees	Explanation of Degree
1.	AMBS	Ayurvedacharya Bachelor of Medicine and Surgery
2.	B.S.Sc.	Bachelor of Sanitary Science
3.	Bhasha Parveena	Bhasha Parveena
4.	BPP	Bachelor of Physical Planning
5.	BT	Bachelor of Training
6.	D.Ay.M.	Doctor of Ayurvedic Medicine
7.	DHV	Doctor of Hygiene
8.	Granthalaya	Granthalaya

Dr. T. R. KEM
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग

मिसिल सं0 1–1C

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 5 अक्तूबर 2006

सं. 1-10/2004(सीपीपी-2) खंड-3--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि.अ.आ. अधिनियम 1956 (1956 का 3) धारा 22 की उपधारा 3 एवं दिसम्बर, 1985 तक संशोधित और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1–52/97(सीपीपी–2) दिनांक 31–01–2004 के सिलसिले में नीचे दी गई डिग्रियों को जो भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की वैधता को निरस्त कर दिया गया है।

क्र.सं.	संक्षिप्त डिग्रियाँ	डिग्रियों की व्याख्या
1.	ए.एम.बी.एस.	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य में स्नातक
2.	बी.एस.साइंस	आरोग्यकर विज्ञान स्नातक
3.	भाषा प्रवीण	भाषा प्रवीण
4.	बी.पी.टी.	शारीरिक योजना स्नातक
5.	बी.टी.	प्रशिक्षण स्नातक
6.	डी.आयु.एम.	आयुर्वेदिक चिकित्सा वाचस्पति
7.	डी.एच.वी.	स्वास्थ्य विज्ञान वाचस्पति
8.	ग्रंथालय	ग्रंथालय

डॉ. टी.आर. केम
सचिव